

सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय,
खण्डवा रोड, इन्दौर

फा. क्रमांक 10-6/2014

दिनांक: 14 जुलाई 2014

खरीफ 2014 के दौरान कृषकों हेतु सलाह (14-20 जुलाई 2014)

Advisory for Kharif 2014 (14 - 20 July 2014)

As per the recommendations based on multilocation and long term experiments, optimum time of sowing for soybean crop is during 15th of June to 7th of July. However, in view of the special situation soybean can be sown up to 20th of July by increasing the seed rate and reducing the row to row spacing though there may be some yield reduction. It has been observed that arrival of monsoon in some of the districts is further delayed because of which the sowing of soybean crop is affected. In this situation following advisories has been issued for soybean growers.

1. Sowing of soybean should be done only after ensuring sufficient moisture of at least 40 mm in the top level soil strata to avoid rotting/dying of seedlings in case of dry spell immediately after sowing.
2. Farmers are advised to use soybean seed only after carrying out germination test for available soybean seed. If it is below 70%, the seed rate should be appropriately increased on pro rata basis in order to have optimum plant population.
3. Farmers are also advised to increase the seed rate by 20-25% and reducing the row to row spacing to 30 cm.
4. Before sowing, the seed should be treated with fungicides (2g Thiram + 1g Carbendazim per kg seed or mixed formulation of Carboxin 37.5% + Thiram 37.5% @ 3g/kg seed) before sowing. After seed treatment with fungicides, seed inoculation is recommended to be carried out by Bradyrhizobium and PSB culture @ 5gm/kg seed each.
5. To save the crop from prolonged dry spells or excessive rainfall situations, farmers are advised to sow their soybean crop using BBF seed drill or FIRBS seed drill. In case of unavailability of these machines, they are advised to open irrigation furrows suitably after an interval of 6-9 rows.
6. Seed placement should not be at more than 3 cm depth.
7. Farmer who have already sown soybean crop are advised to provide life saving irrigation through sprinkler if possible.

सोयाबीन अनुसंधान एवं विकास प्रणाली द्वारा अनुशंसित तकनीकी के अनुसार सोयाबीन की बौवनी हेतु सामान्यतः 15 जून से 7 जुलाई तक उपयुक्त समय होता है। मानसून के विलम्बित आगमन की इस वर्ष की विशेष परिस्थिति में सोयाबीन फसल की बौवनी दिनांक 20 जुलाई तक भी की जा सकती है हालांकि सोयाबीन के उत्पादन में कमी होने की संभावना रहेगी। इस हेतु कतार से कतार की दूरी कम करने एवं अधिक बीज दर उपयोग करने की अनुशंसा है। वर्तमान में यह देखा गया है कि सोयाबीन की खेती की जाने वाले कई जिलों में अभी तक मानसून का आगमन नहीं हुआ है। इस स्थिति में कृषकों को निम्नलिखित सलाह दी जाती है।

1. सोयाबीन की बौवनी भूमि में पर्याप्त नमी (कम से कम 4 इंच बारिश) होने की स्थिति में ही करें।

....2,

2. बोवनी से पूर्व सोयाबीन के बीज की अंकुरण क्षमता की जाँच करे जो कि न्यूनतम 70 प्रतिशत होना चाहिये। बीज का अंकुरण 70 प्रतिशत से कम होने पर उसी अनुपात से बीज दर बढ़ाकर बोवनी करें।
3. देरी से बोवनी करने की स्थिति (जुलाई के प्रथम सप्ताह के पश्चात) में कतार से कतार की दूरी घटाकर (30 से.मी.) तथा बीज दर 20–25 प्रतिशत बढ़ाकर बोवनी करने की सलाह दी जाती है।
4. बोवनी करने से पहले सोयाबीन के बीज को अनुशंसित फफूंदनाशक (2 ग्राम थायरम एवं 1 ग्राम कार्बेन्डाजिम या मिश्रित उत्पाद 37.5 प्रतिशत कार्बोक्सीन एवं 37.5 प्रतिशत थायरम) के साथ बीजोपचार अवश्य करें। इसके पश्चात् ब्रेडी राइजोबियम एवं पी.एस.बी. जीवाणु खाद से बीज को उपचारित करें।
5. यह भी सलाह है कि वर्षा की अनिश्चितता एवं सूखे की समस्या के कारण सोयाबीन की फसल में होने वाली संभावित उत्पादन में कमी को देखते हुए बी.बी.एफ. सीड ड्रील, फर्ब्स सीड ड्रील का उपयोग कर सोयाबीन की बोवनी करें। इन मशीनों की उपलब्धता न होने पर सुविधानुसार 6 से 9 कतारों के पश्चात् देसी हल चलाकर नालियाँ बनाएं।
6. सोयाबीन की बोवनी करते समय बीज की गहराई का उचित ध्यान रखें जिससे सोयाबीन का अंकुरण प्रभावित न हो। इसलिए पंजी लगे सीड ड्रील का प्रयोग करें।
7. जिन कृषकों द्वारा सोयाबीन की बोवनी पूर्व में की जा चुकी है उन्हें सलाह है कि फसल को सूखे से बचाने हेतु संभव होने की स्थिति में स्प्रिकलर प्रणाली से सिंचाई की व्यवस्था करें।

(एस.के. श्रीवास्तव)
निदेशक

प्रतिलिपि:

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक
2. संचालक कृषि, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक
3. सहायक महानिदेशक (तिलहन एवं दलहन), भा.कृ.अनु.परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली-110114
4. परियोजना निदेशक, कृषि ज्ञान शोध प्रबंधन, (डी.के.एम.ए.) भा.कृ.अनु.परिषद, कृषि अनुसंधान भवन-1, पूसा, नई दिल्ली-110012
5. निदेशक अनुसंधान सेवाएँ, कृषि विश्वविद्यालय, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर /रा.वि.रा.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर
6. निदेशक विस्तार सेवाएँ, कृषि विश्वविद्यालय, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर /रा.वि.रा.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर को इस अनुरोध के साथ कि वे संबंधित कृषि विज्ञान केन्द्रों को इस बाबत सूचित करें।
7. क्षेत्रीय परियोजना निदेशक, क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय, झोन-7, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर को इस अनुरोध के साथ कि वे संबंधित कृषि विज्ञान केन्द्रों को इस बाबत सूचित करें।
8. सहायक सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, इन्दौर को इस अनुरोध के साथ कि वे विभिन्न समाचार-पत्रों में इस बाबत विज्ञप्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।
9. आकाशवाणी, इन्दौर एवं भोपाल को कृषकों से संबंधित कार्यक्रम में परिचालन हेतु
10. दूरदर्शन केन्द्र, इन्दौर एवं भोपाल को कृषकों से संबंधित कार्यक्रम में परिचालन हेतु
11. निदेशक, सोपा, मालवीय नगर के पास, ए.बी. रोड, इन्दौर
12. डॉ. सविता कोल्हे, वरिष्ठ वैज्ञानिक (संगणक), सो.अनु.निदे., इन्दौर को निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।